न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्मोडा
फौजदारी वाद संख्या 1512 / 2022
केशव दत्त काण्डपाल बनाम प्रकाश चन्द्र पाण्डे

14.12.2023

पत्रावली पेश। वाद पुकारा गया। परिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री भोलाशंकर न्यायालय उपस्थित। अभियुक्त की और से कोई न्यायालय उपस्थित नही।

02— पत्रावली अभियुक्त की उपस्थिति/ अभियोग का सांराश हेतु नियत है। परिवादी की और से विद्वान अधिवक्ता श्री भोलाशंकर द्वारा हॉजरी मॉफी प्रार्थना पत्र कागज संख्या 33ख पेश किया गया। सुना, केवल आज की तिथि के लिए स्वीकृत। अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में जारी जमानती वारण्ट न्यायालय को निष्पादित प्राप्त है परन्तु इसी पते पर भेजे गैर जमानती वारण्ट पर यह आख्या प्राप्त की अभियुक्त अपने निवास स्थान पर दस्तयाब नही हुआ। अतः उपरोक्त आख्या से यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त फरार हो गया है अथवा वारण्ट तामिली से बच रहा है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 82 सी0आर0पी0सी0 का उद्घोषणा जारी करना न्योयोचित प्रतीत होता है। अतः परिवादी के पैरवी लेने के उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध धारा 82द0प्र0स0 की उद्घोषणा जारी हो। परिवादी पैरवी ले।

03— पत्रावली दिनांक 24.01.2024 को वास्ते अभियुक्त की उपस्थिति हेतु पेश हो।

(रवि अरोडा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अल्मोडा